FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0043 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/03/2024 20:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/03/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/03/2024 **Time (समय):** 05:50 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/03/2024 20:24:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** Dholpur Road Rupwas

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Navratan Sharma

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Ramratan Sharma

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 21/06/1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Ganga Mandir ke pass, Rupwas, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Ganga Mandir ke pass, Rupwas, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8994835997

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Harish Sharma		पिता:Keshav Dev	1. Bai,Halena,BHARATPUR,RAJAS
2	Krishna Kant Sharma		पिता:Lalram Sharma	1. Sed ka mud,Rudawal,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी भरतपुर राज0 विषय- रिष्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाने बाबत । महोदय जी, मैं नवरतन शर्मा पुत्र श्री रामरतन शर्मा निवासी गंगा मंदिर कोलोनी रूपवास राज. का निवासी हूं। मेरे पिताजी श्री रामरतन शर्मा जी ने ग्राम भिडियानी पटवार क्षेत्र चैंकोरा में खसरा नं. 364/62 जिसमें रामरतन जी की हिस्सेदारी 7/16 है, खरीदी थी जिसकी वसीयत पिताजी ने उनके तीन पुत्र भारतभूषण, दीपक एवं नवरतन शर्मा के नाम की थी। मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 12.01.23 को हो गई थी मृत्यु उपरांत उक्त खातेदारी का विरासतन नामांतरण विसीयत के आधार पर खोलने की एवज में पटवारी हरीश शर्मा द्वारा 150000 रिष्वत की मांग कर रहा है। मैं पटवारी हरीश को रिष्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं । मेरी उससे व्यक्तिगत कोई रंजिश एवं कोई लेन देन नहीं है। कृपा कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 05.03.2024 प्रार्थी एसडी नवरतन शर्मा, नवरतन शर्मा पुत्र श्री रामरतन शर्मा निवासी गंगा मंदिर कोलोनी रूपवास जिला भरतपुर राज. एसडी अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 05.03.2024 एसडी मोहन सिंह 06.03.2024 एसडी मुनेन्द्र सिंह 06.03.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 05.03.2024 को समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नवरतन शर्मा पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी रूपवास उम्र 33 साल पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड मय वसीयतनामा की छायाप्रति ं अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं नवरतन शर्मा पुत्र श्री रामरतन शर्मा निवासी गंगा मंदिर कोलोनी रूपवास भरतपुर राज. का निवासी हूं। मेरे पिताजी श्री रामरतन शर्मा जी ने ग्राम भिडियानी पटवार क्षेत्र चैंकोरा में खसरा नं. 364/62 जिसमें रामरतन जी की हिस्सेदारी 7/16 है, खरीदी थी जिसकी वसीयत पिताजी ने उनके तीन पुत्र भारतभूषण, दीपक एवं नवरतन शर्मा के नाम की थी। मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 12.01.23 को हो गई थी मृत्यु उपरांत उक्त खातेदारी का विरासतन नामांतरण वसीयत के आधार पर खोलने की एवज में पटवारी हरीश शर्मा द्वारा 1,50,000 रूपये रिष्वत की मांग कर रहा है। मैं पटवारी हरीश को रिष्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं । मेरी उससे व्यक्तिगत कोई रंजिश एवं कोई लेन देन नहीं है। कृपा कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोट मेरी हस्तलिखित है। मजीद दरियाप्त से मामला रिष्वत मांग का पाया जाने पर समय 01.10 पीएम पर रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 से निकलवाकर परिवादी श्री नवरतन शर्मा को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री विनोद सिंह कानि. 114 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी नवरतन शर्मा को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 विनोद सिंह को परिवादी की निजी कार से तहसील कार्यालय रूपवास रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.30 पीएम पर श्री विनोद सिंह कानि. उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा उपस्थित कार्यालय आया। वायॅस रिकॉडर को कानि. श्री विनोद सिंह से जरिये फर्द प्राप्त किया गया कानि. विनोद सिंह ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी नवरतन के साथ कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय रूपबास पहॅुचे मैने आरोपी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया बाद सत्यापन परिवादी को पुर्व से सुपुर्दषुदा वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि हरीश शर्मा तहसील कार्यालय रूपवास में मिला जिससे मेरी वार्ता हो गई है पटवारी हरीश शर्मा ने मुझसे मेरे पिताजी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर नामांतरण खोलने की एवज में रिष्वत की मांग की एवं मेरे निवेदन करने पर पटवारी हरीश शर्मा मुझसे एक लाख रूपये रिष्वत में दो किस्तों में लेने पर सहमत हो गया है। मैंने हरीश शर्मा से हुई वार्तालाप को डिजिटल वायॅस रिकॉडर में रिकॉर्ड कर लिया है। पटवारी हरीश शर्मा ने मुझे 1-2 दिन में 50,000/- रूपयों लेकर बुलाया हैं। आज मुझे घर पर आवष्यक कार्य है व व 50,000/- रूपयों का बन्दोबस्त भी करना है । इसके बाद मैं परिवादी को आपके निर्देषानुसार आवष्यक हिदायत देकर रूपबास ही

छोडकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया। विनोद कानि0 से प्राप्तषुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। वॉईस रिकॉर्डर से माईक्रो एसडी कार्ड निकालकर रिष्वत मॉग सत्यापन वाले माईक्रो एसडी कार्ड एवं वाईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 06.03.2024 को समय 01.40 पीएम पर पूर्व से पाबन्दषुदा परिवादी नवरतन शर्मा आरोपी को दी जाने वाली रिष्वत राषि 50,000 लेकर उपस्थित कार्यालय आया और मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया जिसे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद 01.55 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवष्यकता होने पर श्री उमाषंकर कानि0 82 को स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 02.30 पीएम पर श्री उमाषंकर कानि0 82 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर से वापस कार्यालय आया कानि0 श्री उमाषंकर के साथ आये हुए स्वतंत्र गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमषः मोहन सिंह पुत्र श्री भजनलाल जाति जाटव उम्र 57 साल निवासी जसवंत नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबन्द जिला भरतपुर हाल प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर तथा मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट उम्र 51 साल निवासी 253 राजेन्द्र नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर उक्त दोनों गवाहों का कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी नवरतन से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 05.03.2024 को पेश की गई षिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात समय 02.30 पीएम पर इस समय कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकाल कर मैमोरी कार्ड डाला गया। तत्पष्चात समय 02.40 पीएम पर ा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री नवरतन शर्मा पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी रूपवास उम्र 33 साल पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर से आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 100 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 50,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- क्र.सं. नोट का प्रकार नोटों के नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344382 2. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344383 3. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344384 4. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344385 5. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344386 6. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344387 7. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344388 8. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344389 9. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344390 10. एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344391 11. एक नोट पांच सौ रूपये का 7AH980355 12. एक नोट पांच सौ रूपये का 7VC942099 13. एक नोट पांच सौ रूपये का 7EK794112 14. एक नोट पांच सौ रूपये का 0GP248392 15. एक नोट पांच सौ रूपये का 1UR484946 16. एक नोट पांच सौ रूपये का 8PL192488 17. एक नोट पांच सौ रूपये का 5UT288461 18. एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG915940 19. एक नोट पांच सौ रूपये का 3DE246151 20. एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187034 21. एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187030 22. एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525215 23. एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525216 24. एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525214 25. एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187032 26. एक नोट पांच सौ रूपये का 7BC443064 27. एक नोट पांच सौ रूपये का 9BK838521 28. एक नोट पांच सौ रूपये का 3DW377868 29. एक नोट पांच सौ रूपये का 9BV088086 30. एक नोट पांच सौ रूपये का 3FA165560 31. एक नोट पांच सौ रूपये का 9AN144702 32. एक नोट पांच सौ रूपये का 1VS540343 33. एक नोट पांच सौ रूपये का 9CH886045 34. एक नोट पांच सौ रूपये का 1GE583908 35. एक नोट पांच सौ रूपये का 2TH332432 36. एक नोट पांच सौ रूपये का 5CU917502 37. एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK316390 38. एक नोट पांच सौ रूपये का 6DQ933348 39. एक नोट पांच सौ रूपये का 1UD233792 40. एक नोट पांच सौ रूपये का 9MT545592 41. एक नोट पांच सौ रूपये का 5AF870596 42. एक नोट पांच सौ रूपये का 7AT252618 43. एक नोट पांच सौ रूपये का 8FL580335 44. एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219694 45. एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219693 46. एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219692 47. एक नोट पांच सौ रूपये का 7CA492516 48.एक नोट पांच सौ रूपये का 7DP848157 49. एक नोट पांच सौ रूपये का 1GH716434 50. एक नोट पांच सौ रूपये का 3BV132487 51. एक नोट पांच सौ रूपये का 5CC946844 52. एक नोट पांच सौ रूपये का 7BE375685 53. एक नोट पांच सौ रूपये का 8UR292838 54. एक नोट पांच सौ रूपये का 1SV324252 55. एक नोट पांच सौ रूपये का 8SN217450 56. एक नोट पांच सौ रूपये का 6FS989909 57. एक नोट पांच सौ रूपये का 2VA342819 58. एक नोट पांच सौ रूपये का 9VK656683 59. एक नोट पांच सौ रूपये का 9VK656684 60. एक नोट पांच सौ रूपये का 6AM710877 61. एक

नोट पांच सौ रूपये का 2RQ923512 62. एक नोट पांच सौ रूपये का 1PV584284 63. एक नोट पांच सौ रूपये का 8FW372953 64. एक नोट पांच सौ रूपये का 5VU713581 65. एक नोट पांच सौ रूपये का 1HD751319 66. एक नोट पांच सौ रूपये का 0BB075441 67. एक नोट पांच सौ रूपये का 9CN038045 68. एक नोट पांच सौ रूपये का 0CF002657 69. एक नोट पांच सौ रूपये का 4CB650381 70. एक नोट पांच सौ रूपये का 4RF160718 71. एक नोट पांच सौ रूपये का 9BT362144 72. एक नोट पांच सौ रूपये का 7EN938389 73. एक नोट पांच सौ रूपये का 7UT899775 74. एक नोट पांच सौ रूपये का 2AW350891 75. एक नोट पांच सौ रूपये का 9KM657892 76. एक नोट पांच सौ रूपये का 5ND778228 77. एक नोट पांच सौ रूपये का 7HC114483 78. एक नोट पांच सौ रूपये का 9GF231037 79. एक नोट पांच सौ रूपये का 7SN323857 80. एक नोट पांच सौ रूपये का 3CC639617 81. एक नोट पांच सौ रूपये का 6FT756555 82. एक नोट पांच सौ रूपये का 0NN716339 83. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 ND784763 84. एक नोट पांच सौ रूपये का 2GW023456 85. एक नोट पांच सौ रूपये का 8QP972715 86. एक नोट पांच सौ रूपये का 4MH769823 87. एक नोट पांच सौ रूपये का 8GF439438 88. एक नोट पांच सौ रूपये का 9AN013544 89. एक नोट पांच सौ रूपये का 1NF814325 90. एक नोट पांच सौ रूपये का 4LQ982519 91. एक नोट पांच सौ रूपये का 1SK851844 92. एक नोट पांच सौ रूपये का 8SV308568 93. एक नोट पांच सौ रूपये का 5WP779065 94. एक नोट पांच सौ रूपये का 8AL709347 95. एक नोट पांच सौ रूपये का 3PS230800 96. एक नोट पांच सौ रूपये का 3GW785112 97. एक नोट पांच सौ रूपये का 7SC785587 98. एक नोट पांच सौ रूपये का 7CK791973 99. एक नोट पांच सौ रूपये का 9RT702684 100. एक नोट पांच सौ रूपये का 5FS903452 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पष्चात श्री अवधेश हैड कानि0 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री अवधेश हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नवरतन शर्मा की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह मोहनसिंह प्रषासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पष्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/- रूपये के नोटों को श्री अवधेश हैड कानि0 से परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावष्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिष्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिष्वत राषि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईषारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिष्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री अवधेश हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। श्री अवधेश हैड कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्ेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाषी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिष्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री अवधेश हैड कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात समय 03.10 पीएम श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि0 114 मय परिवादी श्री नवरतन शर्मा मय श्री दिलीप सिंह कानि0 610 मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को परिवादी की निजी कार से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिंह 591, श्री रितेश कुमार कानि0 64 , श्री यशपाल कानि0 473 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के तहसील कार्यालय रूपवास वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पष्चात समय 04.10 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा तहसील कार्यालय रूपवास के

पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने तहसील कार्यालय रूपवास के पास प्राईवेट पटवार घर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , राजेन्द्र सिंह कानि0 व दिलीप सिंह को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के प्राईवेट पटवार घर के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पष्चात समय 04.20 पीएम पर परिवादी नवरतन शर्मा प्राईवेट पटवार घर से बिना कोई ईषारा किये वापस आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी हरीश शर्मा ने मुझे पुलिस थाना रूपवास के पास बुलाया है इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रवाना होकर पुलिस थाना रूपवास के पास पहुंचे और वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने पुलिस थाना रूपवास के पास स्थित राधा रानी कैफे के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0,राजेन्द्र सिंह कानि0 व दिलीप सिंह को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के राधारानी कैफे के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया इसके बाद समय 04.45 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री नवरतन शर्मा के नियत ईषारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाह एवं जाप्ता के धौलपुर रोड रूपवास से वाहनों के पास से रवाना होकर राधा रानी कैफे के सामने पहुंचा जहां परिवादी नवरतन शर्मा उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी से आरोपी द्वारा रिष्वत राषि लेने के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे से अभी अभी हरीश पटवारी द्वारा अपने अन्य साथी पटवारी के मार्फत 50 हजार रूपये रिष्वत के लेकर कैफे के अन्दर बैठे हुए हैं इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के राधारानी कैफे के अन्दर पहुंचा जहां परिवादी ने कैफे के अन्दर कुर्सीयों पर बैठे हुए व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की तरफ ईषारा कर बताया कि यही पटवारी हरीश शर्मा एवं इनका साथी पटवारी है जिन्होने मेरे से अभी 50 हजार रूपये रिष्वत के लिये हैं। उक्त दोनों में से कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति से मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्णकान्त शर्मा पुत्र श्री लालराम शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल निवासी सेढ़ का मढ मौहल्ला रूदावल पुलिस थाना रूदावल जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का खान सूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर होना बताया एवं दूसरे कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरीश शर्मा पुत्र श्री केशव देव जाति ब्राहम्ण उम्र 33 साल निवासी ग्राम बाई पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर होना बताया। तत्पष्चात परिवादी से उक्त दोनों द्वारा ली गई रिष्वत राषि 50 हजार रूपये के संबंध पुनः पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिता रामरतन शर्मा के नाम ग्राम भिडियानी पटवार हल्का चैंकोरा में जमीन खसरा नं0 364/62 में से मेरे पिता रामरतन की हिस्सेदारी 7/16 थी जिसकी वसीयत मेरे पिता रामरतन ने हम तीन भाईयों के नाम की थी मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 12.01.2023 को होने पर मृत्यु उपरान्त उक्त खातेदारी जमीन का वसीयत के आधार पर विरासत नामान्तरण खोलने की एवज में पटवारी हरीश शर्मा ने 01 लाख 50 हजार रूपये रिष्वत की मांग की जिसका आपके द्वारा दिनांक 05.03.2024 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो हरीश शर्मा पटवारी 01 लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार रूपये देना तय हुआ उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 06.03.2024 को राधारानी कैफे धौलपुर रोड रूपवास पर मुझे बुलाकर अन्य साथी पटवारी के माध्यम से मुझे विरासत नामान्तरण की प्रक्रिया समझवाई अन्य पटवारी कृष्णकान्त द्वारा हरीश पटवारी के कहने पर 50 हजार रूपये रिष्वत राषि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेट की पीछे की दाहिनी जेब में रख कर कैफे के अन्दर जाकर हरीश शर्मा पटवारी को दे दी और हरीश पटवारी द्वारा उक्त रिष्वत राषि अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रख ली रिष्वत राषि 50 हजार रूपये अभी भी हरीश पटवारी की जेब में रखे हुए हैं। तत्पष्चात हरीश पटवारी से रिष्वत राषि के संबंध में पूछा तो कहा कि नवरतन द्वारा दी गई राषि मेरे पहने हुए पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी हुई है। जिसपर उक्त जेब को स्वतंत्र गवाहन द्वारा हल्का खोलकर दिखाया तो 500 सौ रूपये के नोटों की गडडी दिखाई दी। इस पर दोनों पटवारी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमने कोई रिष्वत राषि नहीं ली है और अपने हाथों को आपस में रगडने लगे इस पर उक्त दोनों पटवारियों को डिटेन कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार हरीश पटवारी का दाहिना हाथ स्वतंत्र गवाह श्री मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी एवं बांया हाथ श्री रितेश कुमार कानि0 64 ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। तथा पटवारी कृष्णकान्त का दाहिना हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 व बांया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री मोहन सिंह प्रषासनिक अधिकारी ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। चूंकि मौका एक कैफे है जहां पर काफी लोगों का आवागमन जारी है। ऐसी सूरत में मौके पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त दोनों पटवारियों को हाथ पकडी हुई अवस्था में हिदायत दी गई कि अपने हाथों को पृथक-पृथक रहने देवें और प्रक्रिया में सहयोग करें तत्पष्चात उक्त समस्त को अलग-अलग वाहनों में बिठाया जाकर हमराह लेकर पास में स्थित सुरक्षित स्थान पुलिस थाना रूपवास के थानाधिकारी कक्ष में लेकर पहुंचा जहां पटवारी हरीश शर्मा से परिवादी नवरतन से रिष्वत राषि मांगने व कृष्णकान्त पटवारी के मार्फत लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं करीबन 20 दिन पहले तहसीलदार साहब के आदेश से पटवार हल्का चैंकोरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हुआ था। करीबन 15 दिन पहले नवरतन

निवासी रूपवास मेरे पास वसीयत की छायाप्रति व अपने पिता जी रामरतन के मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबन्दी की छायाप्रति लेकर आया था एवं मुझे बताया कि भिडियानी ग्राम में हमारे पिता के द्वारा खरीदी हुई जमीन की वसीयत के आधार पर विरासत नामान्तरण खोलना है। इस पर मैने उससे कागज लेते हुए 10-12 दिन में आने की कहा था और कहा था कि मैं आपका काम कर दुंगा। इसके बाद कल दिनांक 05.03.2024 को नवरतन मेरे पास आया जिससे विरासत नामान्तरण के संबंध में बात चीत हुई थी मैने नवरतन से कोई रिष्वत की मांग नहीं की और ना ही आज मैने कोई रिष्वत राषि प्राप्त की है। तत्पष्चात पटवारी कृष्णकान्त से परिवादी से रिष्वत राषि के लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि मै वर्ष 2020 से पटवार हल्का खान सूरजापुर तहसील रूपवास में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। आज में मेरे साथी पटवारीगण के साथ राधारानी कैफे पर चाय नास्ता करने आया था। कैफे पर मेरे साथी हरीश शर्मा पटवारी ने मुझसे कहा कि नवरतन को वसीयत की नामान्तरण की प्रक्रिया समझा दो इस पर मैने नवरतन को वसीयत की प्रक्रिया बताते हुए कागजात के बारे में समझाया था। मैने नवरतन से कोई रिष्वत राषि प्राप्त नहीं की। इस पर उपस्थित परिवादी ने उक्त पटवारीगण की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिता जी की जमीन पर उनकी मृत्यु पष्चात वसीयत के आधार पर विरासत नामान्तरण खोलने की एवज में पटवारी हरीश शर्मा ने 01 लाख 50 हजार रूपये रिष्वत की मांग की थी जिसका आपके द्वारा दिनांक 05.03.2024 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो हरीश शर्मा पटवारी 01 लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार रूपये देना तय हुआ उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 06.03.2024 को राधारानी कैफे धौलपुर रोड रूपवास पर मुझे बुलाकर अन्य साथी पटवारी के माध्यम से मुझे विरासत नामान्तरण की प्रक्रिया समझवाई अन्य पटवारी कृष्णकान्त द्वारा हरीश पटवारी के कहने पर 50 हजार रूपये रिष्वत राषि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रख कर कैफे के अन्दर जाकर हरीश शर्मा पटवारी को दे दी और हरीश पटवारी द्वारा उक्त रिष्वत राषि अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रख ली। तत्पष्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर पुलिस थाना रूपवास में रखे हुए पानी के केम्पर एवं कार्यालय के बाथरूम कें नल से प्लास्टिक के गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री मोहन सिंह प्रषासनिक अधिकारी से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री कृष्णकान्त पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री कृष्णकान्त पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पष्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर कार्यालय के बाथरूम के नल से साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री हरीश शर्मा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क आर एच-3 व आर एच-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री हरीश शर्मा पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क एल एच-3 व एल एच-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पष्चात गवाह श्री मोहन सिंह प्रषासनिक अधिकारी से आरोपी हरीश पटवारी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब तलाषी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500-500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500-500 सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/-रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकषी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है क्र.सं. नोट का प्रकार नोटों के नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344382 2 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344383 3 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344384 4 एक नोट

पांच सौ रूपये का 1WA344385 5 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344386 6 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344387 7 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344388 8 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344389 9 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344390 10 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA344391 11 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AH980355 12 एक नोट पांच सौ रूपये का 7VC942099 13 एक नोट पांच सौ रूपये का 7EK794112 14 एक नोट पांच सौ रूपये का 0GP248392 15 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UR484946 16 एक नोट पांच सौ रूपये का 8PL192488 17 एक नोट पांच सौ रूपये का 5UT288461 18 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG915940 19 एक नोट पांच सौ रूपये का 3DE246151 20 एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187034 21 एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187030 22 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525215 23 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525216 24 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UU525214 25 एक नोट पांच सौ रूपये का 7RU187032 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 7BC443064 27 एक नोट पांच सौ रूपये का 9BK838521 28 एक नोट पांच सौ रूपये का 3DW377868 29 एक नोट पांच सौ रूपये का 9BV088086 30 एक नोट पांच सौ रूपये का 3FA165560 31 एक नोट पांच सौ रूपये का 9AN144702 32 एक नोट पांच सौ रूपये का 1VS540343 33 एक नोट पांच सौ रूपये का 9CH886045 34 एक नोट पांच सौ रूपये का 1GE583908 35 एक नोट पांच सौ रूपये का 2TH332432 36 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CU917502 37 एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK316390 38 एक नोट पांच सौ रूपये का 6DQ933348 39 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UD233792 40 एक नोट पांच सौ रूपये का 9MT545592 41 एक नोट पांच सौ रूपये का 5AF870596 42 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AT252618 43 एक नोट पांच सौ रूपये का 8FL580335 44 एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219694 45 एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219693 46 एक नोट पांच सौ रूपये का 9TT219692 47 एक नोट पांच सौ रूपये का 7CA492516 48 एक नोट पांच सौ रूपये का 7DP848157 49 एक नोट पांच सौ रूपये का 1GH716434 50 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BV132487 51 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CC946844 52 एक नोट पांच सौ रूपये का 7BE375685 53 एक नोट पांच सौ रूपये का 8UR292838 54 एक नोट पांच सौ रूपये का 1SV324252 55 एक नोट पांच सौ रूपये का 8SN217450 56 एक नोट पांच सौ रूपये का 6FS989909 57 एक नोट पांच सौ रूपये का 2VA342819 58 एक नोट पांच सौ रूपये का 9VK656683 59 एक नोट पांच सौ रूपये का 9VK656684 60 एक नोट पांच सौ रूपये का 6AM710877 61 एक नोट पांच सौ रूपये का 2RQ923512 62 एक नोट पांच सौ रूपये का 1PV584284 63 एक नोट पांच सौ रूपये का 8FW372953 64 एक नोट पांच सौ रूपये का 5VU713581 65 एक नोट पांच सौ रूपये का 1HD751319 66 एक नोट पांच सौ रूपये का 0BB075441 67 एक नोट पांच सौ रूपये का 9CN038045 68 एक नोट पांच सौ रूपये का 0CF002657 69 एक नोट पांच सौ रूपये का 4CB650381 70 एक नोट पांच सौ रूपये का 4RF160718 71 एक नोट पांच सौ रूपये का 9BT362144 72 एक नोट पांच सौ रूपये का 7EN938389 73 एक नोट पांच सौ रूपये का 7UT899775 74 एक नोट पांच सौ रूपये का 2AW350891 75 एक नोट पांच सौ रूपये का 9KM657892 76 एक नोट पांच सौ रूपये का 5ND778228 77 एक नोट पांच सौ रूपये का 7HC114483 78 एक नोट पांच सौ रूपये का 9GF231037 79 एक नोट पांच सौ रूपये का 7SN323857 80 एक नोट पांच सौ रूपये का 3CC639617 81 एक नोट पांच सौ रूपये का 6FT756555 82 एक नोट पांच सौ रूपये का 0NN716339 83 एक नोट पांच सौ रूपये का 2 ND784763 84 एक नोट पांच सौ रूपये का 2GW023456 85 एक नोट पांच सौ रूपये का 8QP972715 86 एक नोट पांच सौ रूपये का 4MH769823 87 एक नोट पांच सौ रूपये का 8GF439438 88 एक नोट पांच सौ रूपये का 9AN013544 89 एक नोट पांच सौ रूपये का 1NF814325 90 एक नोट पांच सौ रूपये का 4LQ982519 91 एक नोट पांच सौ रूपये का 1SK851844 92 एक नोट पांच सौ रूपये का 8SV308568 93 एक नोट पांच सौ रूपये का 5WP779065 94 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AL709347 95 एक नोट पांच सौ रूपये का 3PS230800 96 एक नोट पांच सौ रूपये का 3GW785112 97 एक नोट पांच सौ रूपये का 7SC785587 98 एक नोट पांच सौ रूपये का 7CK791973 99 एक नोट पांच सौ रूपये का 9RT702684 100 एक नोट पांच सौ रूपये का 5FS903452 उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पष्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी से तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क पी1 व पी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात जीन्स पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग सलेटी जिसकी कमर बैल्ट पर पोलो क्लब स्लिम फिट का स्टीगर लगा हुआ है। पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर

करवाकर थैली पर मार्क पीपी अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी से तैयार करा कर आरोपी पटवारी कृष्णकान्त के पहने हुए जीन्स पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क पी-3 व पी-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात जीन्स पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग नीला जिसकी कमर बैल्ट पर बाहर की तरफ लेवी स्ट्रोस एण्ड कम्पनी का स्टीगर लगा हुआ है। पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क ''पीपी-1 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तषुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिष्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी हरीष शर्मा पटवारी से परिवादी से संबंधित कार्य के कागजात के संबंध में पूछा तो तहसील कार्यालय रूपवास में होना बताये जिन्हे जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी श्री हरीश शर्मा पटवारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 तथा आरोपी कृष्णकान्त पटवारी का उक्त कृत्य धारा 7 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 07-10 पीएम मन् अति पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी हरीष शर्मा से परिवादी श्री नवरतन के कार्य से संबंधित कागजात के संबंध में पूछा तो आरोपी हरीश शर्मा ने बताया कि परिवादी श्री नवरतन के कार्य से संबंधित कागजात तहसील कार्यालय के एल0आर0सी कमरे में टेबिल पर रखे हुए हैं जिस पर श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक को आवष्यक हिदायक देकर मय जाप्ता कानि0 दिलीप कुमार नं.-610 रितेश कुमार कानि. 64 मय आरोपी हरीश शर्मा पटवारी मय स्वतंत्र गवाहों के तहसील कार्यालय रूपबास के लिए रवाना होन पर समय 07-20 पीएम पर आरोपी हरीश शर्मा को तहसील कार्यालय एल0आर0सी0 कमरे में लेकर गये तो आरोपी हरीश शर्मा ने एलआरसी कमरे की टेबिल पर रखे हुए परिवादी से संबंधित कागजात पेश किये जो पेज संख्या एक से लगायात छः है। पेज संख्या 01 से 04 तक वसीयत नामा की प्रति एवं पेज नं0 05 पर नवरतन के आधार कार्ड की प्रति तथा पेज नं0 06 पर जमाबन्दी की नकल है। चूंकि उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवष्यकता होने पर पत्रावली को कार्यालय में उपस्थित आये तहसीलदार श्री बृजेन्द्र सिंह से प्रमाणित करा जप्त किया जाकर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात समय 08-10 पीएम पर मन् अति. पुलिस मय जाप्ता कानि. दिलीप कुमार नं.-610 ,रितेश कुमार कानि. 64 मय आरोपी हरीश शर्मा पटवारी मय स्वतंत्र गवाहों के परिवादी से संबंधित बसीयतनामा से संबंधित रिकार्ड लेकर तहसील कार्यालय रूपबास से रवाना होकर उप. पुलिस थाना रूपबास आया। इसके बाद समय 08.20 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष हरीश शर्मा पुत्र श्री केशव देव जाति ब्राहम्ण उम्र 33 साल निवासी ग्राम बाई पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री नवरतन से परिवादी के पिता के नाम जमीन का वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण खोलने की एवज में वक्त रिष्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.03.2024 को 1,00,000/- रूपये रिष्वत की मांग करना व उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 06.03.2024 को रिष्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी हरीश शर्मा पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई । इसके बाद समय 08.50 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष आरोपी कृष्णकान्त शर्मा पुत्र श्री लालराम शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल निवासी सेढ़ का मढ मौहल्ला रूदावल पुलिस थाना रूदावल जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का खान सूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर सहकर्मी पटवारी हरीश के कहने पर परिवादी से रिष्वत राषि 50000 रूपये प्राप्त कर बाद में आरोपी हरीश शर्मा को दे देना का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई । तत्पष्चात समय 10.20 पीएम पर घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निषादेही पर गवाहान की मौजूदगी में गाडियों की लाईट व रोड लाईट की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 10.45 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक गिरफतार शुदा आरोपी हरीश शर्मा पटवारी व कृष्णकांत शर्मा पटवारी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय जप्तषुदा रिष्वती राषि, धोवन की शील्ड शीषियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक , मय सरकारी गाडी चालक बाद कार्यवाही रवाना एसीबी चौकी भरतपुर होता हुआ। इसके बाद समय

11.55 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक गिरफतार शुदा आरोपी हरीश शर्मा पटवारी व कृष्णकांत शर्मा पटवारी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय जप्तषुदा रिष्वती राषि, धोवन की शील्ड शीषियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक , मय सरकारी गाडी चालक के उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहु ँचा जहाँ जप्तषुदा रिष्वती राषि, धोवन की शील्ड शीषियां, शील्ड पेन्ट पैकिटों व वाईस रिकार्डर से रिष्वत लेनदेन वार्ता मैमोरी कार्ड को निकालकर वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने मे ंरखवाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री अवधेश हैडकानि. 68 को सुपुर्द की गई। इसके बाद दिनांक 07.03.2024 को समय 00.10 एएम पर तत्पष्चात समय श्री रीतराम सिंह एएसआई ,श्री रितेश कुमार कानि. ,श्री गम्भीर कानि. मय गिरफ्तारषुदा आरोपीगण हरीश शर्मा पटवारी व कृष्णकांत शर्मा पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से वास्ते करवाने दाखिल कराने पुलिस थाना मथुरागेट रवाना करने पर समय 01.20 एएम पर श्री रीतराम सिंह एएसआई ,मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा के रवानाषुदा वापस आये जाहिर किया कि रवाना होकर पुलिस थाना मथुरा गेट पहू ँचे जहाँ आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात करने हेतु पुलिस थाना मथुरा गेट के सुपुर्द कर रोजनामचा आम की रपट प्राप्त कर वापस आये इसके बाद समय 09.45 एएम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर को मालखाने से निकालकर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.03.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड जो सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय के मालखाना में रखवाया गया था जिसको मालखाने से निकलवाया जाकर माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 10.10 एएम पर परिवादी नवरतन शर्मा व आरोपी हरीश शर्मा पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 05.03.2024 जो डिजीटल वॉईस रिकॉडर्र के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ ए ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं एक मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ M ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व एक मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 12.10 पीएम पर वक्त रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 05.03.2024 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 12.25 पीएम पर डिजीटल वक्त रिष्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 06.03.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 12.45 पीएम पर परिवादी नवरतन शर्मा से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तषुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपीगण हरीश शर्मा व कृष्णकान्त के मध्य हुई वक्त रिष्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ बी ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ M -1” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 02.45 पीएम पर वक्त रिष्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक

07.03.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 03.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 57 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री मुनेन्द्र सिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी हरीश शर्मा पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री नवरतन शर्मा निवासी गंगा मन्दिर कॉलोनी रूपवास से उसके पिता रामरतन शर्मा के नाम ग्राम भिडियानी पटवार हल्का चैंकोरा में जमीन खसरा नं0 364-62 में से परिवादी के पिता रामरतन की हिस्सेदारी 7-16 थी जिसकी वसीयत रामरतन ने अपने तीन पुत्र भारत भूषण दीपक एवं नवरतन शर्मा के नाम की थी परिवादी के पिता रामरतन की मृत्यु दिनांक 12-01-2023 को होने पर मृत्यु उपरान्त उक्त खातेदारी जमीन का वसीयत के आधार पर विरासत नामान्तरण खोलने की एवज में 01 लाख 50 हजार रूपये रिष्वत की मांग की जिसका दिनांक 05-03-2024 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिष्वत मांग सत्यापन आरोपी हरीश शर्मा पटवारी 01 लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार रूपये दिनांक 06-03-2024 को देना तय हुआ उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 06-03-2024 को राधारानी कैफे धौलपुर रोड रूपवास पर आरोपी द्वारा परिवादी को बुलाकर अन्य साथी पटवारी कृष्णकान्त शर्मा पटवार हल्का खान सूरजापुर तहसील रूपवास से परिवादी को विरासत नामान्तरण की प्रक्रिया बताने की कहा जिस पर कृष्णकान्त पटवारी द्वारा परिवादी से बात की एवं हरीश पटवारी के कहने पर 50 हजार रूपये रिष्वत राषि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेट की पीछे की दाहिनी जेब में रख कर कैफे के अन्दर जाकर आरोपी हरीश शर्मा पटवारी को दे दी और हरीश पटवारी द्वारा उक्त रिष्वत राषि अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रखने पर रंगे हाथों पकडे जाने पर आरोपीगण हरीश शर्मा पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर व कृष्णकान्त पटवारी तहसील रूपबास जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।.......कार्यवाही पुलिस.......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री केशवदेव शर्मा, निवासी ग्राम बाई, पुलिस थाना हलैना, जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चैंकोरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर एवं श्री कृष्णकान्त शर्मा पुत्र श्री लालराम शर्मा, निवासी सेढ का मढ, मौहल्ला रूदावल, पुलिस थाना रूदावल, जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का खान सूरजापुर, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 43/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता की गई। उक्त की रोजनामचा आम पर रपट 06 अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। क्रमांकः 205-08 दिनांक 07.03.2024 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर। 2. जिला कलक्टर, भरतपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/03/2024 12:53:23

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/12/1990				
2	Male	06/08/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)